**[भारत के राजपत्र भाग-II, खंड-III में प्रकाशनार्थ]**

**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**[स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग]**

**निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011.**

नई दिल्ली, दिनांक 10th अक्टूबर, 2017

# <u>अधिसूचना</u>

सा.का.नि :- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलकत्ता (श्रेणी III और श्रेणी IV) भर्ती नियम, 1972 के अधिक्रमण में, जहां तक उसका संबंध क्र. सं. 11 पर स्थित असिस्टेंट बायोकैमिस्ट के पद से है, जो कि ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए अथवा हटाए गए के अलावा हो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलकत्ता में असिस्टेंट बायोकैमिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कोलकाता (असिस्टेंट बायोकैमिस्ट) भर्ती नियम, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों की संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।
भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति,

(क). जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख). जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान | चयन पद है अथवा अचयन पद |
|---|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** |
| असिस्टेंट बायोकैमिस्ट | 04* (2017)<br>* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख" अराजपत्रित (अननुसचिवीय) | लेवल 6<br>(35,400-1,12,400रु.) | चयन |

| सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|
| (6) | (7) |
| 30 वर्ष से अधिक नहीं<br><br>**<u>टिप्पणी 1</u> :** केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुरूप केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु 5 वर्ष तक शिथिलनीय।<br><br>**<u>टिप्पणी 2</u> :** आयु-सीमा निर्धारित करने की तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगी। | **<u>अनिवार्य</u>**<br>(i) बायोकैमिस्ट्री/कैमिस्ट्री/माइक्रोबायोलॉजी में स्नातक डिग्री।<br>(ii) औषधि विश्लेषण में दो वर्ष का अनुभव।<br><br>**<u>वांछनीय</u>**<br>विज्ञान सहित बायोकैमिस्ट्री/ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री/ माइक्रोबायोलॉजी में स्नातकोत्तर डिग्री |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| आयु - नहीं<br>योग्यता - जी, हां | दो वर्ष | 50% सीधी भर्ती द्वारा और 50% प्रोन्नति द्वारा, और ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा। |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|---|---|---|
| **(11)** | **(12)** | **(13)** |
| लेवल-5 (29200 - 92,300 रु.) में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के तौर पर नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में 6 वर्ष की सेवा। | प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा और सीधी भर्ती के स्थायीकरण हेतु विभागीय स्थायीकरण समिति<br>1. औषधि नियंत्रक (भारत) - अध्यक्ष<br>2. निदेशक, केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कोलकाता - सदस्य<br>3. औषधि उप नियंत्रक (भारत) - सदस्य<br>4. निदेशक (प्रशा.) सीडीएससीओ - सदस्य | लागू नहीं |

**[भारत के राजपत्र भाग-II, खंड-III में प्रकाशनार्थ]**

**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**[स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग]**

**निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011.**

नई दिल्ली, दिनांक 10th अक्टूबर, 2017

**<u>अधिसूचना</u>**

सा.का.नि :- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलकत्ता (श्रेणी III और श्रेणी IV) भर्ती नियम, 1972 के अधिक्रमण में, जहां तक उसका संबंध क्र. सं. 10 पर स्थित असिस्टेंट कैमिस्ट के पद से है, जो कि ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए अथवा हटाए गए के अलावा हो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलकत्ता में असिस्टेंट कैमिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कोलकाता (असिस्टेंट कैमिस्ट) भर्ती नियम, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों की संलग्न अनुसूची के स्तंभ (3) से स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट होंगे।

भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति,

(ग).जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(घ).जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान | चयन पद है अथवा अचयन पद |
|---|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** |
| असिस्टेंट कैमिस्ट | 06* (2017)<br>* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख" अराजपत्रित (अननुसचिवीय) | लेवल 6<br>(35,400-1,12,400रु.) | चयन |

| सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|
| (6) | (7) |
| 30 वर्ष से अधिक नहीं<br><br>**टिप्पणी 1** : केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुरूप केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु 5 वर्ष तक शिथिलनीय।<br><br>**टिप्पणी 2** : आयु-सीमा निर्धारित करने की तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगी। | **अनिवार्य**<br>i) कैमिस्ट्री/बी.फार्म. में स्नातक डिग्री और<br>ii) औषधि विश्लेषण में दो वर्ष का अनुभव।<br><br>**वांछनीय**<br>कैमिस्ट्री/फार्मास्यूटिकल कैमिस्ट्री/एम.फार्म. (फार्मास्यूटिकल कैमिस्ट्री) में एम.एससी. |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| आयु - नहीं<br>योग्यता - जी, हां | दो वर्ष | 50% सीधी भर्ती द्वारा और 50% प्रोन्नति द्वारा, और ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा। |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| लेवल-5 (29200 - 92,300 रु.) में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के तौर पर नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में 6 वर्ष की सेवा। | प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा और सीधी भर्ती के स्थायीकरण हेतु विभागीय स्थायीकरण समिति<br>1. औषधि नियंत्रक (भारत) - अध्यक्ष<br>2. निदेशक, केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कोलकाता - सदस्य | लागू नहीं |

| | | |
|---|---|---|
| | 3. औषधि उप नियंत्रक (भारत) - सदस्य<br>4. निदेशक (प्रशा.) सीडीएससीओ - सदस्य | |